न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	26/23	2023/29	06.10.23	सरकार बनाम गोपाल वगै0	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 26/2023 (2023/29)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. गोपाल लाल गुप्ता पुत्र श्री ईश्वर लाल गुपता जाति महाजन निवासी मुख्य मार्केट वाहीरपुर सवाईमाधोपुर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स ईश्वर लाल बाबूलाल मैन मार्केट वजीरपुर सवाईमाधोपुर।
2. बाबूलाल गुप्ता पुत्र श्री ईश्वर लाल गुप्ता (कर्म मालिक) मैसर्स ईश्वर लाल बाबूलाल मैन मार्केट वजीरपुर सवाईमाधोपुर
3. अरविन्द कुमार अग्रवाल पुत्र तुलसी प्रसाद अग्रवाल निवासी 32 फेन्स, रामघाट रोड, स्वर्ण जयति नगर कावेरी एन्क्लाव, बारह खुर्द अलीगढ उत्तरप्रदेश 202001 (फर्म मालिक) मैसर्स गंगा डेयरी तुलसीपुरम रामघाट रोड, अटरूली, तहसील अलीगढ उत्तरप्रदेश 202280
4. मैसर्स गंगा डेयरी, तुलसीपुरम रामघाट रोड, अटकली, तहसील अलीगक उत्तरप्रदेश 202280 (निर्माता फर्म) अभियुक्तगण

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (प)/51, 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 09.03.2023 को 3.00 पी.एम पर मैसर्स ईश्वर लाल बाबूलाल मैन मार्केट वजीरपुर सवाई माधोपुर पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म का जीएसटी प्रमाण पत्र, खाद्य अनुज्ञापत्र एवं स्वय के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु **Ghee (Tulsi Brand)** 500 उस. की पैकिट्स में रखे हुए थे। **Ghee (Tulsi Brand)** 500 उस. के पैकिट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर **Ghee (Tulsi Brand)** 500 उस. के पैकिंग के 04 पैकिट्स को खरीदें उसकी कीमत 1040/– रुपये विक्रेता श्री गोपाल गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान आयुष गोयल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वय परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस श्री [illegible] लाल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता [illegible] पाल [illegible] को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ghee (Tulsi Brand)** 500 उस. को [illegible] नमूना भाग तैयार [illegible] 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर [illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच 2666 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:03 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 2666 नियमानुसार बारों नमूना मागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/523–26 दिनांक 06.04 2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एलएस/623/एक्ट/2023/721 दिनाक 16.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Ghee (Tulsi Brand) 500 ml- Substandard as it is not derived eÛclusively form milk or products obtained form milk as it contains foreign and hence is also Contravenes Regulation No- 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation-2011 due to presence of foreign fat- This Sample is also Misbranded Food under section 3(1)(z)(C)(i) of food safety and standards Act** 2006. होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स **Ghee (Tulsi Brand)** 500 एमएल. का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(पप) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 52 एवं 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स **Ghee (Tulsi Brand)** 500 एमएल. का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2**(ii)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51,52 व 54 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम [illegible] नहीं है [illegible] नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागज [illegible] अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस [illegible] भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही [illegible] जुर्माने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:03 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एलएस/623/एक्ट/2023/721 दिनाक 16.03.2023 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-B
Test Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

NABL

Report No. L.S. / 623 / Act / 2023 / 721

Date: 16-03-2023

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Desi Ghee (Tulsi Brand)" bearing Code number and Serial number of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 10-03-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 13-03-2023 to 16-03-2023 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 500ml.
(2) Physical appearance : - Light yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.
(3) Label :-

Brand name	: - Tulsi Premium Agmark
Batch No./Lot No./Melt No.	: - 320
Date of Mfg. / Pkg.	: - OCT 2022
Expiry/Use by	: - Not given
Symbol for Veg. /Non Veg.	: - Green symbol given.
Nutritional Information	: - Given but per serve percentage (%) contribution to Recommended dietary allowance (RDA) and amount of sodium not given on the label of sample.
Ingredients	: - Milk Fat
Name & Address of Mfr. /Pkr.	: - Ganga Dairy, Tulsi Puram, Ramghat Road, Atrauli, Aligarh-202280 (U.P)
FSSAI License No.	:- 10012051000361

Contravention of Regulation No. 5(3)(b) and 5(10)(a) of Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulation, 2020.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	42.3	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	31.39	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS2016 METHOD NO. 3.2:2016	0.065%.	Max. =0.5%.
	olenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	1.46	0.5 -2.0
5.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6:2016	Negative.	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7:2016	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016:2016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee (Tulsi Brand) Agmark" bearing Code No. and Sr. No. H-2666 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat. This sample is also Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006.

Signed this 16th day of March 2023

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ... खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स Ghee (T... Brand) 500 एमएल. प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स **Ghee (Tulsi Brand)** 500 एमएल. प्रकृति का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51,52 व 54 के तहत जुर्माना राशि 10,000 रूपये (अक्षरे–दस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:10:03 IST
Reason: SelfAttested